पत्र संख्या-एम-4-6/2017 ...2040.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-16-3-18

विषयः- **GeM के कार्यान्वयन एवं एकीकरण हेतु बजट शीर्ष एवं उप शीर्ष उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1407/वि0 दिनांक 22.02.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य कर लिया गया है. । **GeM** से सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु ICICI बैंक में स्टेट GeM Pool Account खोल लिया गया है । GeM के कार्यान्वयन एवं एकीकरण के क्रम में खरीददारी से संबंधित मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष एवं अन्य शीर्ष अंकित किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने विभागों से क्रय से संबंधित विपत्र शीर्ष/मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष एवं अन्य शीर्ष पत्र प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
16/3/18
(उदयन मिश्रा)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः एम 4-6/2017 ...2040.../वि०, **पटना, दिनांक**...16-3-18

प्रतिलिपिः अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि वित्त विभाग सहित अन्य विभागों के क्रय से संबंधित विपत्र शीर्ष की समेकित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

संयुक्त सचिव 16/3/18